प्रथम अपर सदस्य मो.दुर्घटना दावा अधिकरण, डिण्डौरी (म.प्र.)
(समक्ष : रविन्द्र गुप्ता)

Registration No. 151/2023
Filing No. MACC/603/2023
CNR No. MP5201-003816-2023
Filing Date 10.10.2023

(1) राजकुमार मरावी पिता जोहन सिंह, उम्र–41 वर्ष,
(2) महलीबाई मरावी पति राजकुमार मरावी, उम्र–40 वर्ष, **(विलोपित)**
(3) सरीलाबाई मरावी पिता राजकुमार मरावी, उम्र–19 वर्ष,
(4) शिवराज पिता राजकुमार मरावी, उम्र–12 वर्ष, नाबालिग बली संरक्षक पिता राजकुमार मरावी पिता जोहन सिंह, उक्त सभी निवासी ग्राम करोंदा, थाना गाड़ासरई, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
(5) श्रीमती रीता मरावी पति राजकुमार मरावी, उम्र–36 वर्ष, निवासी ग्राम करांदा, थाना गाड़ासरई, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.) ——— **आवेदकगण**

::: **वि रू द्ध** :::

(1) कलावती मार्को पति स्व. भूपेन्द्र मार्को, उम्र–44 वर्ष, निवासी ग्राम व पोस्ट गोरखपुर, थाना गाड़ासरई, तहसील बजाग, जिला डिण्डौरी (म.प्र.)
(वाहन चालक एवं वाहन स्वामी की मां)
(2) बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. 1187/88, थर्ड फ्लोर, बादशाह प्लाजा, राईट टाउन, जबलपुर, जिला जबलपुर (म.प्र.) **(बीमा कंपनी)**
——————— **अनावेदकगण**

आवेदकगण की ओर से	:	श्री अमर बघेल अधिवक्ता।
अनावेदक क्र. 01	:	पूर्व से एकपक्षीय।
अनावेदक क्र. 02 की ओर से	:	श्रीमती सीमा जैन अधिवक्ता।

::: **अधिनिर्णय** :::

(आज दिनांक 22.11.2025 को पारित)

(1) इस अधिनिर्णय द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 166 मोटरयान अधिनियम का निराकरण किया जा रहा है। सुविधा की दृष्टि से घटना कारित

करने वाले वाहन मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4771 को ''वाहन'' नाम से संबोधित किया जावेगा।

(2) मामले में यह उल्लेखनीय है कि आदेश पत्रिका दिनांक 03.09.25 अनुसार आवेदक क्र. 02 महलीबाई मरावी का नाम याचिका के शीर्षक से विलोपित किया गया है एवं यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 17.09.24 को अनावेदक क्रमांक 01 के उपस्थित न होने और उसकी ओर से कोई अधिवक्ता के भी उपस्थित न होने से उसके विरूद्ध प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की गयी है। अनावेदक क्र. 01 की ओर से याचिका का जबावदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(3) आवेदन का सार यह है कि दुर्घटना दिनांक 21.06.23 को समय दोपहर लगभग 2:30 बजे मृतिका संजना मरावी, गंगा सिंह मार्को के मोटरसाईकिल में पीछे बैठकर सागरटोला तरफ से रामनगर घाट पुलिया के पास पहुंचे, तभी तेज रफ्तार लापरवाही पूर्वक चलाकर रोड के किनारे बने आंगनबाड़ी की दीवाल में ले जाकर टकरा दिया, जिससे गंगा सिंह मार्को चालक और संजना मरावी दोनों के सिर में गंभीर चोट आई, जिसके कारण दोनों की मृत्यु हो गयी। उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाना करंजिया में दर्ज करायी गयी थी, जिसका अपराध क्रमांक 158/23 है। दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन चालक द्वारा वाहन स्वामी के हितलाभ एवं नियोजन में संचालित किया जा रहा था, उक्त वाहन दुर्घटना दिनांक को अनावेदक क्र. 02 बीमा कंपनी के पास विधिवत् बीमित रहा है। मृतिका, आवेदकगण की पुत्री व बहन थी, जो मृतिका के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी एवं विधिक वारिसान हैं। दुर्घटना में मृतिका संजना मरावी की असमय मृत्यु हो जाने से मृतिका की आय से वंचना, मानसिक क्षति, अंतिम संस्कार पर व्यय, शव लाने–ले जाने आदि के संबंध में आवेदकगण को कुल क्षतिपूर्ति राशि 55,90,000/–रूपये (पचपन लाख नब्बे हजार रूपये) अनावेदकगण से 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से संयुक्ततः अथवा पृथक–पृथक दिलाये जाने का निवेदन किया गया है।

(4) अनावेदक क्र. 02 बीमा कंपनी की ओर से जवाब में वर्णित किया है कि उक्त दुर्घटनाकारी वाहन मोटरसाईकिल को चालक मृतक गंगासिंह मार्को के द्वारा बिना सक्षम एवं प्रभावशील चालन लाईसेंस के बीमा शर्तों के उल्लंघन में लोकमार्ग पर परिचालित किया जा रहा था, जिससे बीमा कंपनी आवेदकगण को दावा राशि भुगतान किये जाने हेतु दायित्वाधीन नहीं है। संजना मरावी उक्त दुर्घटनाकारी वाहन में आसन्न सवार होकर यात्रा कर रही थी, मृतिका संजना मरावी द्वारा किसी सुरक्षा आवरण के उक्त मोटरसाईकिल में सवार थी, जिससे उसकी उपेक्षा एवं लापरवाही को छिपाते हुए पुलिस में रिपोर्ट की गयी है। मृतिका आसन्न सवार होने के कारण बीमा पॉलिसी से आच्छादित नहीं होने से बीमा कंपनी, क्षति हेतु दायितवाधीन नहीं है। मामले में धारा 134 मोटरयान अधिनियम एवं 64 व्ही.बी. अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है। वाहन स्वामी के द्वारा

प्रकरण की प्रतिरक्षा में रूचि नहीं ली जा रही है, अतः धारा 170 मोटरयान अधिनियम के तहत बीमा कंपनी अपना बचाव करने की पात्रता रखती है। अतः बीमा कंपनी के विरूद्ध आवेदन निरस्त कर उसे क्षतिपूर्ति के दायित्व से मुक्त किया जावे।

(5) उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर निम्नलिखित वाद प्रश्नों की विरचना की गई, जिनके समक्ष निष्कर्ष साक्ष्य की संवीक्षा बाद अंकित किये जाऐंगे :—

क.	**वाद प्रश्न**	**निष्कर्ष**
01.	क्या दुर्घटना दिनांक 21.06.23 को 2:30 बजे दोपहर को वाहन चालक (मृतक गंगासिंह) के द्वारा स्वयं के स्वामित्व के वाहन मोटरसाईकिल कमांक एम.पी.20 जेड.ई. 4771 को आरक्षी केन्द्र करंजिया के अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पुलिया के पास रामनगर घाट में उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाकर दुर्घटना कारित किया, जिसके परिणामस्वरूप संजना मरावी की मृत्यु कारित हुई ?	प्रमाणित
02.	क्या, उक्त दुर्घटना मृतिका की स्वयं की लापरवाही का परिणाम थी, यदि हां तो प्रभाव ?	नहीं
03.	क्या, वाहन चालक के पास कथित दुर्घटना दिनांक 21.06.23 को वैध एवं प्रभावी चालन अनुज्ञप्ति थी ?	प्रमाणित नहीं हुआ।
04.	क्या दुर्घटना दिनांक को उक्त वाहन का संचालन बीमा पॉलिसी की शर्तो के विपरीत किया जा रहा था ? यदि हॉ तो प्रभाव ?	प्रमाणित नहीं।
05.	क्या याचिकाकारगण, मृतक के वैध उत्तराधिकारी होकर अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी है ? यदि हां तो किससे व कितनी ?	अंशतः प्रमाणित, अधिनिर्णय के अंतिम पैरा अनुसार
06.	सहायता एवं वादव्यय ?	अधिनिर्णय के अंतिम पैरा अनुसार

//सकारण निष्कर्ष//
//वाद प्रश्न कमांक 01 एवं 02//

(6) अनावश्यक साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने, सुविधा की दृष्टि से

उक्त दोनों वादप्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। मामले में आवेदकपक्ष की ओर से आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) ने स्वयं की साक्ष्य करायी है एवं साक्ष्य दौरान प्र.पी.01 लगायत प्र.पी.08 एवं वाहन क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4771 के रजिस्ट्रेशन की ऑनलाईन स्वप्रमाणित प्रति प्र.पी.09 एवं अनावेदक क्र. 01 की समग्र आई.डी. की स्वप्रमाणित प्रति प्र.पी.10 एवं अनावेदक क्र. 01 कलावती द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने संबंधी जप्ती एवं सुपुर्दगी रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी.11 के दस्तावेज एवं परिवार कार्ड प्र.पी.12, आधार कार्ड प्र.पी.13 लगायत प्र.पी.17, मृतिका संजना मरावी की कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्र.पी.18, 12 वीं की अंकसूची प्र.पी.19 की प्रतियां प्र.पी.12 सी लगायत प्र.पी.19 सी प्रदर्शित कराये हैं। अनावेदक क्र. 01 की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अनावेदक क्र. 02 की ओर से कंपनी के सीनियर ऑफिसर दीपक कुमार (अना.सा. 02) की साक्ष्य दौरान प्र.डी.01 लगायत प्र.डी.04 के दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये हैं।

(7) मृतिका के पिता राजकुमार मरावी (आ.सा.01) ने साक्ष्य में व्यक्त किया है कि सुशीला बाई, शिवराज उसके पुत्र एवं पुत्री हैं, श्रीमती रीता मरावी उसकी प्रथम पत्नी है। मृतिका संजना, रीता मरावी और उसकी पुत्री थी। महलीबाई उसकी दूसरी पत्नी है। घटना दिनांक 21.06.23 को मृतिका और गंगाराम मोटरसाईकिल क्रमांक एम.पी. 20 जेड.ई. 4771 से अमरकंटक जा रहे थे, जैसे ही रामनगर घाट आंगनबाड़ी भवन के पास पहुंचे, उसी समय गंगाराम मोटरसाईकिल को उपेक्षा व लापरवाही पूर्वक चलाते हुए आंगनबाड़ी की दीवार से टकरा दिया, जिससे उसकी पुत्री संजना मरावी दुर्घटनाग्रस्त होने से उसकी मृत्यु हो गयी तथा मोटरसाईकिल चालक गंगाराम की ईलाज के दौरान मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षण साक्ष्य दौरान आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसकी पुत्री संजना को गंगासिंह घुमाने के लिये अमरकंटक ले जा रहा था। उक्त सुझाव से ही आवेदक द्वारा प्रश्नगत् दुर्घटना के संबंध में बताये गये तथ्यों का समर्थन होता है।

(8) यह उल्लेखनीय है कि उक्त वाहन के संचालन दौरान मृतिका संजना मरावी, जो वाहन में पीछे बैठी थी, उसकी स्वयं की कोई लापरवाही रही हो, जिसके कारण वाहन दुर्घटना घटित हुई हो, इस संबंध में अनावेदकगण ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। अतः दुर्घटना में मृतिका की स्वयं की लापरवाही होना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

(9) आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) द्वारा मौखिक साक्ष्य के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01, अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण प्र.पी.02, नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.03, शव परीक्षण आवेदन प्र.पी.04, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.05, संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.06 एवं 07, वाहन मैकेनिकल परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.08 की सत्यापित प्रतियां एवं रजिस्ट्रेशन की ऑनलाईन

स्वप्रमाणित प्रति प्र.पी.09, अनावेदक क. 01 की समग्र आई.डी. की स्वप्रमाणित प्रति प्र.पी.10 एवं अनावेदक क. 01 कलावती द्वारा वाहन को सुपुर्दगी पर प्राप्त किये जाने संबंधी जप्ती एवं सुपुर्दगी रजिस्टर की सत्यापित प्रति प्र.पी.11 के दस्तावेज एवं परिवार कार्ड प्र.पी.12, स्वयं का आधार कार्ड प्र.पी.13, शिवराज का आधार कार्ड प्र.पी.14, सरिला बाई का अधार कार्ड प्र.पी.15, रीताबाई का आधार कार्ड प्र.पी.16, मृतिका संजना मरावी का आधार कार्ड प्र.पी.17, मृतिका संजना मरावी की कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्र.पी.18, 12 वीं की अंकसूची प्र.पी.19 की प्रतियां प्र. पी.12 सी लगायत प्र.पी.19 सी एवं वाहन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र व बीमा प्रपत्र की छायाप्रतियां प्रस्तुत की हैं, जिनसे आवेदकगण की साक्ष्य का समर्थन होता है।

(10) मामले में संपत्ति जप्ती पत्रक प्र.पी.07 अनुसार दुर्घटनाकारी वाहन को घटनास्थल से जप्त किया गया है और जप्ती पत्रक प्र.पी.06 अनुसार अनावेदक क. 01 कलावती मार्को के पेश करने पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन कार्ड एवं बीमा प्रमाण पत्र को जप्त किया गया है। वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति एवं स्वप्रमाणित ऑनलाईन प्रति प्र.पी.09 से उक्त वाहन का दुर्घटना के समय स्वामी, वाहन चालक गंगासिंह रहा है, जिसकी मृत्यु के बाद पुलिस थाना करंजिया के जप्ती एवं सुपुर्दगी रजिस्टर वर्ष 2023 दिनांक 04.03.24 की सत्यापित प्रति प्र.पी.11 अनुसार उक्त दुर्घटनाकारी वाहन को अनावेदक क. 01 कलावती के द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है, जिससे वाहन, वाहन चालक/स्वामी की मॉ कलावती के आधिपत्य में होना भी प्रकट है, उक्त तथ्यों के खण्डन में अनावेदिका कलावती के द्वारा न तो कोई मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है और न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है, यहां तक कि उसके द्वारा याचिका का जबावदावा भी प्रस्तुत नहीं किया गया और उपस्थित होने के बाद एकपक्षीय हो गयी है। इस प्रकार उक्तानुसार दुर्घटना न होकर किसी अन्य वाहन से दुघ टनाग्रस्त होने अथवा मृतिका की स्वयं की लापरवाही से उक्त दुर्घटना घटित होने के संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है, वरन् आवेदक की संपूर्ण मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों इत्यादि से यह प्रकट होता है कि दुर्घटना दिनांक को वाहन चालक अनावेदक क. 01 (मृतक गंगासिंह) ने अपने स्वामित्व के उक्त वाहन को घटना के समय लापरवाहीपूर्वक चलाकर आंगनबाड़ी केन्द्र की दीवार से टकरा कर दुर्घटना कारित की, जिसके परिणामस्वरूप संजना मरावी की मृत्यु हो गयी। **अतः उक्त वादप्रश्न कमांक 1 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' में अंकित किया जाता है एवं वादप्रश्न कमांक 02 का निष्कर्ष ''नहीं'' में अंकित किया जाता है।**

//वादप्रश्न कमांक 03 एवं 04//

(11) उक्त दोनों ही वादप्रश्न सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु एक साथ निराकृत किये जा रहे हैं। उक्त वादप्रश्न के संबंध में बीमा कंपनी अनावेदक क. 03 के सीनियर ऑफिसर दीपक कुमार (अना.

सा.01) के द्वारा साक्ष्य में व्यक्त किया गया है कि उनकी कंपनी द्वारा गंगा के स्वामित्व का न्यू मोटरसाईकिल प्रश्नगत् वाहन कमांक एम.पी. 52 जेड.ई. 4771 है, का बीमा दिनांक 18.04.23 से 17.04.28 तक बीमा शर्तों एवं नियमों के तहत किया गया था, जो पॉलिसी प्र.डी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर ड्राईवर क्लॉज में लायसेंस संबंधी शर्तों का उल्लेख है। बीमा पॉलिसी प्र.डी.01 अनुसार उक्त वाहन का दुर्घटना दिनांक 21.06.23 को विधिवत् बीमित होना स्पष्टतः प्रकट है।

(12) दीपक कुमार (अना.सा.01) ने साक्ष्य में यह भी व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को वाहन चालक द्वारा लायसेंस प्राप्त किये बिना मोटरसाईकिल का संचालन किया जा रहा था, जो कि बीमा शर्तों का उल्लंघन है, उनकी कंपनी के द्वारा वाहन स्वामी कलावती को रजिस्टर्ड डाक से लायसेंस उपलब्ध कराने सूचना पत्र प्र.डी.02 प्रेषित किया गया था, जिसकी डाक रसीद प्र.डी.03 है। उक्त सूचना पत्र वाहन स्वामी को डिलेवर हो गया, जिसकी डिलेवर रिपोर्ट प्र.डी.04 है, उक्त सूचना पत्र वाहन स्वामी को डिलेवर होने के पश्चात् भी उनकी कंपनी को कोई लायसेंस उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही घटना के अन्वेषणकर्ता पुलिस को कोई लायसेंस जप्त कराया गया है। घटना दिनांक को उक्त वाहन लायसेंस प्राप्त किये बिना लोकमार्ग पर चलाये जाने के कारण उनकी पॉलिसी की मूलभूत शर्तों का भंग होने से याचिकाकारगण को क्षति की पूर्ति हेतु दायित्वाधीन नहीं है। प्रतिपरीक्षण साक्ष्य दौरान उक्त साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया है कि आर. टी.ओ. कार्यालय से ड्राईविंग लायसेंस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी है।

(13) यह भी उल्लेखनीय है कि इस तथ्य का प्रमाण भार बीमा कंपनी पर था कि प्रश्नगत् घटना दिनांक को चालक पर ड्राईविंग लायसेंस नहीं था, परंतु इस संबंध में बीमा कंपनी के साक्षी दीपक कुमार (अना.सा.01) ने स्वयं यह बताया है कि आर.टी.ओ. कार्यालय से ड्राईविंग लायसेंस के संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की गयी है, तथा यह भी उल्लेखनीय है कि बीमा कंपनी की ओर से आर.टी. ओ. कार्यालय से उक्त के संबंध में किसी साक्षी की साक्ष्य भी अभिलिखित नहीं करायी है तथा आर.टी.ओ. कार्यालय से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि वाहन चालक के पास प्रश्नगत् दुर्घटना के समय ड्राईविंग लायसेंस नहीं रहा है, तब यह तथ्य प्रमाणित नहीं हुआ है कि वाहन चालक के पास प्रश्नगत् दुर्घटना दिनांक को वाहन संचालन के समय ड्राईविंग लायसेंस नहीं रहा है, तब उपरोक्त स्थिति में दुर्घटना के समय वाहन चालक के द्वारा वाहन को बीमा पॉलिसी की शर्तों के उल्लंघन में चलाया जाना भी प्रमाणित नहीं पाया जाता है। **तद्नुसार वादप्रश्न कमांक 03 के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने से उसका निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं हुआ'' के रूप में एवं वादप्रश्न कमांक 04 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में अंकित किया जाता है।**

//<u>वादप्रश्न क्रमांक 05</u>//

(14) मृतिका संजना मरावी की उक्त वाहन दुर्घटना में मृत्यु हो जाने से आवेदकगण मृतिका के पिता, मां एवं भाई–बहन के द्वारा क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने बावत् यह याचिका प्रस्तुत की है। उक्त संबंध में आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) ने साक्ष्य में बताया है कि मृतिका संजना मरावी उसकी पुत्री थी, सुशीलाबाई, शिवराज उसके पुत्र व पुत्री हैं। श्रीमती रीता मरावी उसकी प्रथम पत्नी है। मृतिका संजना, रीता मरावी व उसकी पुत्री थी। आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत परिवार कार्ड प्र.पी.12, आवेदक राजकुमार, शिवराज, सरिला बाई, रीताबाई, मृतिका संजना मरावी के आधार कार्ड क्रमशः प्र.पी.13 लगायत प्र.पी.17 तथा मृतिका संजना मरावी की कक्षा 10 वीं की अंकसूची प्र.पी.18, 12 वीं की अंकसूची प्र.पी.19 तथा जिनकी सत्यापित छायाप्रतियां प्र.पी.12 सी लगायत प्र.पी.19 सी से भी आवेदक की उक्तानुसार साक्ष्य का समर्थन होता है। उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य मामले में मौजूद नहीं है और न ही कोई विशेष प्रतिपरीक्षण किया गया है।

(15) चूंकि हस्तगत् मामले में आवेदिका क्रमांक 02 महलीबाई, आवेदक राजकुमार की दूसरी पत्नी है, जिसे आवेदकपक्ष ने आवेदन से विलोपित किया है, शेष आवेदकगण, मृतिका संजना मरावी के माता–पिता, भाई–बहन होकर वैध वारिसान, उत्तराधिकारी है, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अब यह देखना है कि उक्त वैध उत्तराधिकारी आवेदकगण को मृतिका संजना मरावी की वाहन दुर्घटना में मृत्यु होने से कितनी क्षतिपूर्ति राशि दिलाई जा सकती है।

(16) प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **<u>न्यायदृष्टांत सरला वर्मा विरूद्ध देहली परिवहन निगम 2009 भाग 6 एस.सी.सी. पेज 21</u>** एवं **<u>न्यायदृष्टांत</u> <u>रेशमा कुमारी विरूद्ध मदन मोहन 2013 ए.सी.जे. 1253</u>** तथा **<u>न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157</u>** में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसरण में प्रतिकर का निर्धारण किया जा रहा है।

<u>मृतिका की आयु के संबंध में</u>

(17) आवेदक राजकुमार (आ.सा.01) ने यह बताया है कि उसकी पुत्री संजना घटना के पूर्व कक्षा 12 वीं की छात्रा थी, जिसकी उम्र–18 वर्ष थी। यद्यपि आवेदकगण की ओर से मृतिका की आयु के संबंध में जन्मतिथि प्रमाण पत्र मामले में प्रस्तुत नहीं किया है, किंतु आवेदकगण की ओर से मृतिका का आधार कार्ड की छायाप्रति प्र.पी.17 एवं उसकी कक्षा दसवीं की अंकसूची प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार मृतिका की जन्मतिथि 20.11.2006 होना दर्शित है, इस प्रकार दुर्घटना दिनांक 21.06.2023 को मृतिका की आयु 16 वर्ष, 07 माह की होना दर्शित है।

<u>मृतिका की आय के संबंध में</u>

(18) उक्त संबंध में आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) ने साक्ष्य में बताया है कि उसकी पुत्री संजना, पढ़ायी के अतिरिक्त कृषि कार्य में हाथ जुटाती थी, उसके ना रहने से कृषि कार्य प्रभावित हुआ है, जिससे उसे हानि हुई है। यह उल्लेखनीय है कि उक्त तथ्यों के खण्डन में कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार आवेदक राजकुमार मरावी (आ.सा.01) द्वारा साक्ष्य में प्रकट तथ्यों अनुसार उक्त मृतिका का, उसकी दुर्घटना में मृत्यु से पूर्व परिवार को आय अर्जित करने में योगदान/सहयोग किये जाने संबंधी तथ्यों से इंकार नहीं किया जा सकता, निश्चित ही मृतिका आय अर्जन में अपने परिवार का कुछ न कुछ सहयोग अवश्य करती रही होगी, अतः प्रश्नगत् दुर्घटना के समय मृतिका की आयु को दृष्टिगत् रखते हुए, एक अकुशल मजदूर के रूप में न्यूनतम मजदूरी के आधार पर आय का निर्धारण किया जाना उचित होगा।

(19) चूंकि मामले की घटना 21.06.23 की है। मध्यप्रदेश सरकार के श्रम विभाग द्वारा 01.04.23 से 30.09.23 तक की अवधि हेतु अकुशल श्रमिक की मासिक मजदूरी 9650/—रूपये और प्रतिदिन 371/—रूपये की दर से निर्धारित की थी, चूंकि किसी भी व्यक्ति को महीने के संपूर्ण दिनों में मजदूरी मिलना या उसके द्वारा करना स्वाभाविक एवं संभाव्य नहीं है, इसलिये यह माना जा सकता है कि एक माह में उसे 25 दिन रोजगार मिल जाता, अतः इस प्रकार 371X25 = 9275/—रूपये मासिक आय निर्धारित की जाती है।

<u>गुणांक प्रयोज्य किये जाने के संबंध में</u>

(20) दुर्घटना के समय मृतिका की आयु **16—17** वर्ष की होना प्रमाणित पाया गया है, इस कारण **<u>न्यायदृष्टांत सरला वर्मा (उपरोक्त)</u>** में प्रतिपादित सिद्धांत के अनुसार 15 से 20 वर्ष आयु वर्ग के लिये 18 का गुणांक प्रयोज्य किया जाना न्यायोचित होगा।

<u>भविष्य की संभावना के संबंध में</u>

(21) मृतक के भविष्य की संभावना के संबंध में राशि दिलाये जाने का प्रश्न है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के **<u>न्यायदृष्टांत नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी एवं अन्य ए.आई.आर. 2017 एस.सी. 5157</u>** में प्रतिपादित न्यायसिद्धांत के अनुसार भविष्य की संभावना में भी राशि दिलाया जाना उचित होगा और मृतक का स्व—नियोजन में न होकर पढ़ाई के साथ—साथ कृषि कार्य में हाथ जुटाती थी, इस प्रकार परिवार की आय अर्जन में सहयोग करती थी तथा दुर्घटना दिनांक को मृतिका की आयु 18 वर्ष से कम रही है, इस तथ्य को देखते हुए 40% राशि भविष्य की संभावना के मद में जोड़ा जाना उचित है।

<u>व्यक्तिगत् जीवन निर्वाह खर्च के संबंध में</u>

(22) हस्तगत् प्रकरण में मृतिका अविवाहित रही है, अतः **<u>न्यायदृष्टांत सरला वर्मा (उपरोक्त)</u>** में दिये गये दिशा निर्देश के प्रकाश में आय का 1/2 भाग मृतिका का स्वयं पर व्यय किया जाना मान्य किया जाता है।

<u>साहचर्य हानि, दाह संस्कार खर्च एवं संपदा हानि के संबंध में</u>

(23) न्यायदृष्टांत **<u>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरूद्ध प्रनय सेठी (उपरोक्त)</u>**, **<u>मेगमा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वि. नानूराम एवं अन्य 2018 एस.सी.सी. 148 (एस.सी.) एवं हरप्रीत कौर एवं अन्य विरूद्ध मोहिन्दर यादव एवं अन्य 2023 ए.सी.जे. 799</u>** में प्रतिपादित न्याय सिद्धांत के आलोक में साहचर्य की हानि तीन श्रेणियों में आवेदकगण को अलग अलग प्रदान की जाना चाहिये अर्थात् पति–पत्नी, अभिभावक एवं प्रत्येक बच्चे को साहचर्य की हानि 40,000/–रूपये की दर से प्रदान की जाना चाहिये।

(24) चूंकि हस्तगत् याचिका मृतिका के माता–पिता, अवयस्क भाई व बहन के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जिससे आवेदकगण क्र. 01 एवं 03 लगायत 05 में से प्रत्येक को परंपरागत मद–साहचर्य हानि 40000/–रूपये इस प्रकार कुल 40,000x4 = 1,60,000/–रूपये, संपदा की हानि मद में, 15,000/– रूपये**,** अंतिम संस्कार एवं क्रियाकर्म के मद में 15,000/– रूपये की राशि दिलाया जाना उचित है तथा उक्त राशि में दिनांक 31.10.2017 के पश्चात् प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत् वृद्धि दिलायी जाती है। अतः उक्त राशि में उक्तानुसार वृद्धि करते हुए उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण राजकुमार मरावी, सरीलाबाई, शिवराज एवं श्रीमती रीता मरावी निम्न तालिका अनुसार प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकारी हैं:–

01.	{मासिक आय 9275–(9275 का 1/2 जीवन निर्वाह खर्च = 4637.5)}=4637.5/–रूपये वास्तविक मासिक आय x12 माह x18 गुणांक	रूपये 10,01,700/–
02.	भविष्य की आमदनी (10,01,700 का 40%)	रूपये 4,00,680/– पूर्णांक में
03.	साहचर्य हानि (10% अभिवृद्धि सहित)	रूपये 1,92,000/–
04.	संपदा की हानि (10% अभिवृद्धि सहित)	रूपये 18,000/–
05.	अंतिम संस्कार व्यय (10% अभिवृद्धि सहित)	रूपये 18,000/–
	कुल राशि	**रूपये 16,30,380/–**

(25) इस प्रकार उपरोक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण, कुल

16,30,380/–रूपये (सोलह लाख तीस हजार तीन सौ अस्सी रूपये) की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त करने के अधिकारी हैं तथा इस राशि पर आवेदन दिनांक 10.10.23 से संपूर्ण राशि जमा होने की दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक दर से साधारण ब्याज भी दिलाया जाना उचित है।

//<u>दायित्व निर्धारण</u>//

(26) इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वादप्रश्न क्रमांक 01 इस रूप में प्रमाणित पाया गया है कि आक्षेपित वाहन का पंजीकृत स्वामी स्वयं वाहन चालक गंगासिंह रहा है, उक्त वाहन चालक गंगासिंह और वाहन पर पीछे बैठी हुई मृतिका संजना मरावी की प्रश्नगत् वाहन दुर्घटना में ही मृत्यु हो गयी है, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह अंतिम तर्क उचित होकर अभिलेख पर आई साक्ष्य से समर्थित है कि वाहन चालक/स्वामी उक्त गंगासिंह, अनावेदक क्र. 01 कलावती का पुत्र था, इस संबंध में समग्र परिवार कार्ड प्र.पी.10 भी प्रस्तुत हुआ है, जिसमें परिवार के सदस्यों के रूप में गंगा सिंह एवं कलावती का नाम दर्ज है तथा प्रश्नगत् वाहन के रजिस्ट्रेशन में एवं बीमा में एवं अन्य आपराधिक प्रकरण के दस्तावेजों में वाहन चालक मृतक गंगासिंह के पिता का नाम भूपेन्द्र है एवं अनावेदक क्र. 01 कलावती के पति का नाम भी भूपेन्द्र होना, प्रस्तुत याचिका से एवं कलावती द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किये गये वाहन के संबंध में प्रस्तुत प्र.पी.11 की पुलिस थाने के रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति में भी कलावती पत्नी भूपेन्द्र होना लिखा है, जप्ती पत्रक प्र.पी. 06 में भी कलावती के पति का नाम स्व. भूपेन्द्र होना उल्लिखित है।

(27) आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह अंतिम तर्क भी उचित है कि उक्त दुर्घटना पश्चात् प्रश्नगत् वाहन, चालक की मां अनावेदिका कलावती के आधिपत्य में होना एवं वाहन स्वामी की हैसियत बतौर ही बीमा कंपनी के द्वारा अनावेदक क्र. 01 कलावती को नोटिस प्रेषित किये गये हैं, जिसकी पुष्टि में नोटिस एवं नोटिस भेजने की रसीद क्रमशः प्र.डी.02 एवं प्र.डी.03 भी प्रस्तुत हुए हैं एवं आपराधिक प्रकरण में भी दुर्घटनाकारी वाहन से संबंधित दस्तावेजों को चालक की मां अनावेदक क्र. 01 कलावती से जप्त किया गया है एवं प्रश्नगत् वाहन को, स्वामी की हैसियत से अनावेदक क्र. 01 कलावती द्वारा सुपुर्दगी पर प्राप्त किया गया है, जिसकी पुष्टि में वाहन सुपुर्दगी पर प्राप्त करने के रजिस्टर की सत्यापित छायाप्रति प्र.पी.11 भी प्रस्तुत हुई है।

(28) जहां तक मृतिका संजना मरावी की उक्त वाहन दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप देय उक्त क्षतिपूर्ति राशि की अदायगी के दायित्व के निर्धारण का प्रश्न है, उक्त संबंध में बीमा कंपनी के द्वारा याचिका के जबाव में एवं बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता ने अंतिम तर्क में यह वर्णित किया है कि मृतिका उक्त वाहन मोटरसाईकिल में आसन्न सवार होकर यात्रा कर रही थी, इसलिये बीमा कंपनी क्षतिपूर्ति राशि अदायगी हेतु दायित्वाधीन नहीं है, किंतु यह उल्लेखनीय है

कि उक्त वाहन से संबंधित बीमा पॉलिसी प्र.डी.01, पैकेज पॉलिसी रही है एवं उक्त संबंध में बीमा कंपनी के सीनियर ऑफिसर दीपक कुमार (अना.सा.01) द्वारा प्रतिपरीक्षण साक्ष्य में स्वयं इस सुझाव को स्वीकार किया है कि मृतिका जो प्रश्नगत् वाहन मोटरसाईकिल पर पीछे बैठी थी, उसका उनकी बीमा कंपनी से प्रीमियम प्राप्त किया गया था और बीमा कंपनी से कव्हर थी।

(29) इस संबंध में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का यह अंतिम तर्क उचित है कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आई.आर.डी.ए. द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार पैकेज पॉलिसी, दोपहिया वाहनों में पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति के लिये जोखिम को भी सुरक्षा प्रदान करती है, इस संबंध में माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का **न्यायदृष्टांत पुष्पाबाई व अन्य बनाम कुंजीलाल व अन्य, निर्णय दिनांक 09.04.2019, 2020 ए.सी.जे. 2479** भी सादर अवलोकनीय है। इस प्रकार बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता के उक्त अंतिम तर्क से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

(30) यह उल्लेखनीय है कि मामले में वाहन चालक मृतक गंगासिंह के द्वारा वाहन को बीमा शर्तों के उल्लंघन में चलाया जाना प्रमाणित नहीं पाया गया है एवं वाहन जोखिम के लिये विधिवत् बीमित रहा है, प्र.डी.01 की बीमा पॉलिसी, पैकेज पॉलिसी रही है। **अतः बीमा कंपनी अनावेदक क. 02 संविदा के अधीन प्रथमतः आवेदकगण को प्रतिकर देने के लिये उत्तरदायी है।** इस प्रकार उक्त विवेचना अनुसार आवेदकगण, अनावेदकगण से संयुक्ततः अथवा पृथकतः वाहन दुर्घटना में संजना मरावी की हुई मृत्यु के फलस्वरूप संपूर्ण विवेचना अनुसार पृथक–पृथक विभिन्न मदों में कुल **16,30,380/ –रूपये (सोलह लाख तीस हजार तीन सौ अस्सी रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने के अधिकारी रहते है, **तद्नुसार वादप्रश्न कमांक 05 निराकृत किया जाता है।**

//वादप्रश्न कमांक 06 सहायता एवं व्यय//

(31) उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण से एवं वाद प्रश्नों के निष्कर्ष के आधार पर आवेदकगण का आवेदन पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:–

01. अनावेदकगण संयुक्ततः या पृथकतः आवेदकगण क्र. 01 राजकुमार मरावी, क्रमांक 03 सरीलाबाई, क्रमांक 04 शिवराज एवं क्रमांक 05 श्रीमती रीता मरावी को **16,30,380/–रूपये (सोलह लाख तीस हजार तीन सौ अस्सी रूपये)** क्षतिपूर्ति राशि 30 दिवस के अंदर अदा करेंगे तथा उपरोक्त वर्णित क्षतिपूर्ति राशि का आवेदन प्रस्तुति दिनांक 10.10.23 से अदायगी दिनांक तक 6 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज भी आवेदकगण को अदा करेंगे।

02. उपरोक्त संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि ब्याज एवं खर्च सहित कुल क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक क्रमांक 01 राजकुमार मरावी एवं क्रमांक 05 श्रीमती रीता मरावी को 40–40 प्रतिशत राशि दी जावे, एवं आवेदिका क्र. 03 सरीलाबाई एवं क्रमांक 04 शिवराज को 10–10 प्रतिशत् राशि दी जावे।

03. उपरोक्त संपूर्ण क्षतिपूर्ति राशि ब्याज एवं खर्च सहित कुल क्षतिपूर्ति राशि में से आवेदक क्रमांक 01 राजकुमार मरावी एवं क्रमांक 05 श्रीमती रीता मरावी को प्राप्त होने वाली 40–40 प्रतिशत राशि में से उक्त दोनों आवेदकगण को 2,00,000/– 2,00,000/– रूपये की राशि एवं आवेदिका क्र. 03 सरीलाबाई को प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत् राशि में से आवेदिका क्र. 03 सरीलाबाई मरावी को 50,000/–रूपये की राशि उनके राष्ट्रीयकृत बैंक के बचत खाते के माध्यम से अंतरण द्वारा नगद भुगतान किया जावे, शेष आनुपातिक राशियां उनके नाम से **तीन–तीन वर्ष** के लिये राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि निक्षेप में इस तरह रखी जावें, जिससे उन्हें सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो।

04. चूंकि आवेदक क्र. 04 (शिवराज) अवयस्क हैं, अतः उसे प्राप्त होने वाली 10 प्रतिशत् राशि उसके **बालिग होने** तक, उसके नाम से राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि निक्षेप में इस तरह रखी जावे, जिससे उसे सर्वोत्तम लाभ प्राप्त हो।

05. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन क्रमांक 7/24 में पारित आदेश दिनांक 22.04.25 के अनुसार आवेदकगण द्वारा उनके बचत खाते की जानकारी पासबुक एवं बैंक के सत्यापन पत्र एवं आधारकार्ड, पेन कार्ड के साथ अवार्ड से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करने, जिसकी सूचना अनावेदकगण को दिये जाने पर उक्त जानकारी प्रस्तुत होने पर अवार्ड की राशि अवार्ड के निर्देशानुसार सीधे आवेदकगण के खाते में अंतरित की जावे।

06. उक्त आवेदकगण के नाम से सावधि खाता में जमा की जाने वाली राशि पर कोई ऋण एवं भार अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

07. अनावेदकगण स्वयं अपना–अपना एवं संयुक्त रूप से आवेदकगण का वाद व्यय वहन करेंगे।

08. अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर 2,000/– रूपये या प्रमाणपत्र अनुसार, जो भी कम हो, जोड़ी जाये।

अधिनिर्णय अनुसार व्यय तालिका बनाई जावे। इस अधिनिर्णय की डिजिटली हस्ताक्षरित प्रतिलिपि मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 168(2) के प्रावधान अनुसार उभयपक्ष को निःशुल्क प्रदान की जाये।

अधिनिर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

सही/–
(रविन्द्र गुप्ता)
प्रथम अपर सदस्य
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
डिण्डौरी (म.प्र.)

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही/–
(रविन्द्र गुप्ता)
प्रथम अपर सदस्य
मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण
डिण्डौरी (म.प्र.)

RAVINDRA GUPTA
Digitally signed by RAVINDRA GUPTA
Date: 2025.11.22 17:37:59 +0530